राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक एफ. 12(2)राज / वाद / 19 जयपुर दिनांक 27.6.19

समस्त अति0 मुख्य सचिव
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव,
शासन सचिवालय जयपुर

विषय :— एक से अधिक विभाग पक्षकार होने पर महाधिवक्ता द्वारा निर्देशित अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य के हितो को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि जब किसी सिविल प्रकरण में एक से अधिक विभाग पक्षकार है तो सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त महाधिवक्ता/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा यह तथ्य महाधिवक्ता महोदय के ध्यान में लाया जायेगा। महाधिवक्ता महोदय ऐसे प्रकरण की महत्वता को ध्यान में रखते हुये यह निर्धारित करेंगे कि किस अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रभावी रूप से पैरवी की जाए। यदि प्रकरण से सम्बन्धित विभागीय अतिरिक्त महाधिवक्ता के स्थान पर किसी अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी कराया जाने का निर्णय महाधिवक्ता महोदय द्वारा लिया जाता है तो इसकी सूचना प्रकरण से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा विधि विभाग को प्रेषित की जाकर उस अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी कराये जाने की स्वीकृति/कार्योत्तर स्वीकृति यथा स्थिति विधि विभाग से प्राप्त की जायेगी।

ह0
प्रमुख शासन सचिव,
विधि विभाग

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मा. महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर/जोधपुर।

शासन सचिव,
विधि विभाग